

**कार्यालय,
राजित, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक 15-6-2019

:- कार्यालय प्राम :-

अभिन्न भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अलावा प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14.6.2019 को लखनऊ, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक (सत्र 2019-20) में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्ण या संबंधित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समित्त गुणो/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-2 में विषयगत इस दृष्टिकोण पर चर्चा/संशोधन सम्पन्न करने वाली हुई है सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मान विचार-विमर्श कर निर्णयित निर्णय लिया गया :-

- संलग्नक-1 में अभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अभिन्न विवरण को अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

आत निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अभिन्न प्रवेश समित्त हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संलग्नक नं. एवं नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एवाडमिस्ट्रेशन/फिजीयान्स द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश समित्त	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश समित्त
1	एनए	बी.एस.आई.टी. पीएम. सि.टी. काठमांडू, नेपाल	डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	100 20 120 120 20 120	100 20 120 120 20 120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ सत्र 2019-20 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद एक सत्र 2019-20 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों की 1977 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा स्कूल निर्माण समिति द्वारा निर्धारित स्कूल कीमत अर्थात् इंडिया पाठ्यक्रमों हेतु रु. 30,00,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के अर्थात् भारतीय पाठ्यक्रम हेतु रु. 45,00,000/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो वर्षों के अर्थात् भारतीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के अर्थात् भारतीय पाठ्यक्रम को प्रतिवर्ष) हेतु रु. 27,50,000 प्रतिवर्ष स्कूल की इलेक्ट्रिकल/सि.टी. से प्राप्त किया जावेगा। नगद/आवक के अतिरिक्त सत्र/सत्रों के स्कूल के समस्त में सत्र-सत्र पर सत्रों द्वारा निर्मित किए जाने वाले सत्र-सत्रों प्रकृति में, और सत्र-सत्र अर्थात् किया जाना आवश्यक होगा। जिस निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस पर पूर्णतः निर्णय किया जाता है, तो फीस की नीति-समिति को भी होगी।
- ✓ सत्र 2019-20 (लखनऊ प्राथमिक शिक्षा समित्तों तथा उप समित्तों, संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने) विनियमों की 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए सभी प्रवेश दिव्य जायेगा। सीटों के रिक्त हो जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेशों के अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता सूचना तथा कक्षा होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/सीट/सीटों से आसानी प्राप्त हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अभिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये विधियों, अभिनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी चार्ज वगैरह किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु नवउत्तितिलिग प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आस्थापन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुद्रा, सम्पत्तियां शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त मातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्देशानुसार समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अनिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निष्पत्तानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

/

(संजीव कुमार सिंह)
समित

सूचना- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तारीख: 15-5-2019

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, श्री राम धर्ती 31था, किमी. रुडकी रोड, गुजपरनगर।


 (संजीव कुमार सिंह)
 समित

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी क्वार्टरसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघानित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दे पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1501-SHRIRAM POLYTECHNIC, 4th KM ROORKEE ROAD, MUZAFFARNAGAR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	180	180
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING	120	120
6	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें



संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30व0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30व0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30व0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30व0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेक्वाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेजिग रीकले के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अग्निशेख, भूमि-अवत, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य

पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRIRAM POLYTECHNIC, 4th KM ROORKEE ROAD, MUZAFFARNAGAR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव